रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252478 CG-DL-E-29022024-252478

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945

No. 898]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 943(अ).—प्रबंधन प्राधिकरण, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49 ड के अनुसरण में, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों को उनके अपने - अपने अधिकार क्षेत्रों में, उक्त अधिनियम की धारा 49 ड और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रबंधन प्राधिकरण के कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/3/2023-डब्ल्यू एल]

डॉ. सत्य प्रकाश यादव. अपर वन महानिदेशक

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

**S.O. 943(E).**—In pursuance of section 49M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Management Authority, hereby authorises the Chief Wild Life Wardens of all States and Union territories, in their respective jurisdictions, to perform the functions of the Management Authority under Section 49M of the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. WL-1/3/2023-WL]

Dr. SATYA PRAKASH YADAV, Addl. Director General of Forests

1383 GI/2024